तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17-10-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वास्ते पुन: बहस पत्रावली 24-10-19 को पेश हो
[illegible]	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वकील वादी की एकपक्षीय बहस सु: सुनी गई बहस समाप्त पत्रावली की गई वास्ते आदेश पत्रावली 30-10-19 को पेश हो
30-10-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

दावा संख्या 64/2012

पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 01.08.2012

जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. गणेशी बाई पत्नि सीताराम जाति माली निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
2. लटूर पुत्र सीताराम जाति माली निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
3. बद्रीबाई पुत्री सीताराम पत्नि मांगीलाल जाति माली निवासी कौथा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
4. शान्तिबाई पुत्री सीताराम पत्नि राधेश्याम जाति माली निवासी जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (राज0)
5. धूलीलाल पुत्र गणेश जाति माली निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
6. गजानन्द पुत्र गणेश जाति माली निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
7. भंवरलाल पुत्र गणेश जाति माली निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

– वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी (राज0)

– प्रतिवादीगण –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 15, 19 (1) क0क0
88,89 आर.टी.एक्ट. बाबत् अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :– श्री बालकिशन रायका एडवोकेट

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2019

प्रार्थीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 15,19(1) क0क0 88,89 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 113 के खसरा संख्या 1458 रकबा 0.83 हैक्टर, खसरा संख्या 1461 रकबा 0.82 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.65 हैक्टर वाके ग्राम डडवाडा पटवार क्षैत्र खरायता भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में विस्थित है। जिसकी जमाबन्दी 2064 से 2067 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो दावे का एक भाग है। जिसके राजस्व रिकार्ड में खातेदारी कॉलम में सरकार सिवायचक गणेश वल्द कंवरिया कौम माली साकिन देह शिकमी खातेदार दर्ज चला आ रहा है। गणेश की मृत्यु 30 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसके उत्तराधिकारी वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित सजरा अनुसार सन् 1949 से वादी का कब्जा चला आ रहा है। तथा वादी बतोर

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

डब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी खातेदार कृषक बन चुका है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील सम्मन अनुपस्थित रहने से दिनांक 11.10.2012 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में वादी लटूरलाल का शपथ पत्र पी.डब्लू.1, वादी गजानन्द पी.डब्लू.2, गवाहान चुन्नीलाल पी.डब्लू.3, भवरलाल पी.डब्लू.4, मांगीलाल पी.डब्लू.5, गंगाराम पी.डब्लू.6, गणेशराम पी.डब्लू.7 के साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2064– 2067 प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत 2016–2019 प्रदर्श 2, जमाबन्दी सम्वत 2021–2024 प्रदर्श 3, सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत 2022–2041 प्रदर्श 4, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 5, मिलान क्षैत्रफल 1995–2015 प्रदर्श 6 पेश कर प्रदर्श करवाये गये।

हमारे द्वारा वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। जिन्होने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावें। वादीगण के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टांत RRD 2000 पेज नं0 14, RRD 1993 पेज नं0 17, RRT 2008 (2) पेज नं0 18, RRT 2013 (1) पेज नं0 232 पेश किये।

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में धारा 15, धारा 19 (1) क.क. आर.टी.एक्ट के तहत अनुतोष मांगा गया है। लेकिन धारा 15, धारा 19 (1) क.क. आर.टी.एक्ट लागू हुआ उस तारीख से 3 वर्ष तक प्रभावशील थें। उसके पश्चात उक्त प्रावधान का कोई विधिक औचित्य नही है। इस कारण धारा 15, धारा 19 (1) क.क. आर.टी.एक्ट के तहत वादीगण का दावा कानूनन पोषनीय नही होना पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी प्रदर्श 4 में वर्णित अनुसार वाद विषयक कृषि भूमि के खसरा नं0 687 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा बतोरा डोहली के रूप में दर्ज रिकार्ड है। जिसके आधार पर यह साबित है कि वाद विषयक कृषि भूमि मन्दिर की डोहली कृषि भूमि है। वाद विषयक कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा सन् 1949 से चला आ रहा हो इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही किया गया। हमारे मतानुसार कब्जा दस्तावेज के अभाव में भी कानूनन अधिकार घोषणा का दावा पोषनीय नही होना पाया जाता है। यहा न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मन्दिर की कृषि भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्रदान नही किये जा सकते। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का मेरे द्वारा सहसम्मान अवलोकन किया गया। लेकिन उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्वान्त इस प्रकरण से सम्बन्धित नही होने से चस्पा नही होते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह मत है कि वादीगण का दावा विधि विरूद्व होने एवं कानूनन पोषनीय नही होने से वादीगण का वाद पत्र अर्न्तगत धारा 15, धारा 19 (1) क.क. व 88,89 आर.टी.एक्ट के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाता है। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अपील डिगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास श्री जनक सिंह R.A.S.

1 रामेश्वरीबाई पत्नी रामलाराम बनाम 1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ

जाति माली निवासी इडवाडा 2. राज. राज्य द्वारा जिला कलक्टर बून्दी

तहसील इन्द्रगढ वगैरह जिला — प्रतिवादीगण

बून्दी — वादीगण

दावा बाबत धारा 15, 19(1) 88, 89 RTA

मुकदमा नम्बर 64/दावा/2012 सन .... व हाजिरी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे

श्री बालकिशन शर्मा एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद पैरवी विफल होने से खारिज

किया जाता है

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इन

मुकद्दमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30-10-2019 माह ....

सन .... को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. लड्डूर पुत्र सीताराम जाति माली निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ़
3. बद्रीबाई पुत्री सीताराम जाति माली निवासी कोथा — " — "
4. शान्तिबाई पुत्री सीताराम जाति माली निवासी अलोदा तहसील केशवराय
5. धूलीलाल पुत्र गणेश जाति माली निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ़
6. गजानन्द पुत्र गणेश जाति माली निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ़
7. भंवरलाल पुत्र गणेश जाति माली निवासी डडवाडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी।

— वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी